

जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक तय करने को लेकर किसानों ने रास्ते जाम किए

विधायक के घर का रास्ता बंद कर विरोध प्रदर्शन किया

जालौर, (कांस)। जालौर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी महापड़ाव के दसवें दिन बुधवार को किसानों ने विभिन्न संगठनों के सहयोग से चक्का जाम आंदोलन शुरू किया। किसानों ने जालौर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर जाम लगा दिया। व्यापारियों ने भी किसानों का समर्थन देते हुए बुधवार को पूरे दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।

सड़कों पर टायर आदि जलकर विरोध प्रदर्शन किया, वही जालौर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गार्ग के घर का रास्ता बंद कर उनके घर के समक्ष भी किसानों ने अपना रोष प्रकट किया। दिनभर किसान नेताओं ने महापड़ाव स्थल पर सम्बोधित करते हुए जवाई बांध के पानी पर जालौर का हक तय करने को लेकर पूरजोर मांग उठाई।

जालौर में जवाई बांध के पानी पर जालौर के लिए एक तिहाई हक तय



जवाई बांध के पानी पर जालौर के हक को लेकर चल रहा आंदोलन दसवें दिन भी जारी रहा।

करने की मांग को लेकर किसानों के महापड़ाव ने दसवें दिन बुधवार को उग्र रूप ले लिया। सरकार द्वारा किसानों के महापड़ाव के बाद भी सकारात्मक

हल नहीं निकालने से किसानों के सन्न का बांध बुधवार को टूटा और जालौर के करीब तीन सौ गांवों के हजारों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर

लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गये। किसानों ने सड़कों पर उतर जालौर शहर में प्रवेश करने वाले समस्त मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग को बंद कर

दिया। जिसके चलते जालौर में आवागमन पूर्णतः बंद हो गया तथा किसानों ने हरिदेव जोशी सर्किल, हाईस्पीडल चौराहा, कलेक्ट्रेट के समक्ष

किसानों ने जालौर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में ट्रैक्टर खड़े कर मार्ग अवरुद्ध कर दिया

टायर व लड़कियां जलाकर मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने जालौर से निकलने वाले जोधपुर बाइपैस नेशनल हाईवे 325 का रास्ता बंद कर दिया तथा रोडवेज बसों को भी रोक दिया।

भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष रतनसिंह ने महापड़ाव स्थल पर सम्बोधित करते हुए कहा कि जवाई बांध के पानी पर जालौर के लिए हक तय करने को लेकर मांग लम्बे समय तक चल रही है। हमारे स्थानीय नेताओं की कमजोर पैरवी के चलते जालौर के लिए जवाई बांध के पानी का हक तय अभी तक नहीं हुआ। जिसके चलते हमेशा किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा।

बसपा नेता न्यांगली को गोली मारने का फरार आरोपी गिरफ्तार

सादलपुर, (निर्स)। बसपा नेता वीरेंद्र सिंह पर फायरिंग करने के मामले में साधु बनकर अलग-अलग ठिकाने बदल कर पुलिस से छुपता हुआ 10 सालों से फरार स्याई वारंटी को राजगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। बुधवार शाम तीन बजे दी जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाड़िया ने बताया कि महा निरीक्षक पुलिस सीकर रेंज की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध आने-यात्राओं के विरुद्ध कार्रवाई के चलते स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में गठित टीम ने दस साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि पुलिस लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर 10 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही थी।

उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जोधपुर क्षेत्र में साधु बनकर घूम रहा है, जिस पर टीम जोधपुर पहुंची एवं आसपास क्षेत्र में आम सूचना संकलन करते हुए थाना क्षेत्र के सरदारपुरा में पहुंची। जहां वांछित आरोपी रमेश पुत्र धर्मांतर जाट

- साधु बनकर ठिकाने बदलकर आरोपी रहा था जोधपुर
- राजगढ़ थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश कर आरोपी को भेजा जेल में

निवासी गावड़ पुलिस थाना सदर हिसार जिला हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भिजवा दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी बड़ा शातिर है, जो दस साल से साधु करते हुए इस प्रकार अलग-अलग ठिकाने पर रहते हुए फरार चल रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करने में कांस्टेबल महेंद्र कुमार व अजय कुमार कास्टेबल की विशेष भूमिका रही। उन्होंने बताया कि बसपा नेता वीरेंद्र न्यांगली निवासी न्यांगली पोएएस राजगढ़ की हत्या करने के इरादे से गोली मार दी थी। तथा मौके से आरोपी फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि अभियान जारी रहेगा।

11 युवकों को किया गिरफ्तार

सादलपुर, (निर्स)। राजगढ़ थाना पुलिस ने गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले तथा आतंजन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के चलते 11 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की है। बुधवार शाम तीन बजे दी जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र झाड़िया ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले आतंजन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान स्थानीय अधिकारियों के सुपरविजन में

चार अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र में अपराधियों के घर व संभावित ठिकानों पर दृष्टि देकर बुधवार को 11 युवकों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई के अंतर्गत राहुल, तोफीक पटान, समीर, जहीर खान, मोहम्मद सफीक, दीपेंद्र, अल्लाफ, कैलाश, रस्तम और रहमान को हिरासत में लिया गया है। इनके खिलाफ 107 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

अजमेर दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा कोर्ट ने किया मंजूर

20 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई

अजमेर, (कांस)। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से 23 सितम्बर 2024 को अजमेर के सिविल न्यायालय में किए गए दायर बाद पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले को सुनने योग्य मानते हुए अल्प संख्यक मंत्रालय, एएस आई व दरगाह कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने के निर्देश जारी करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसम्बर 2024 तय की है।

याचिकाकर्ता हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि 23 सितंबर को अजमेर कोर्ट में दाव दायर किया था। याचिका में दरगाह कमेटी व अल्पसंख्यक मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को पार्टी बनाया गया है। विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर बताया जा रहा है। अयोध्या विवाद (प्र व) अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में पेश किया गया है। दिल्ली निवासी हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता ईश्वर सिंह और योगेश सुरोपिया ने दरगाह कमेटी के कथित अनधिकृत कब्जा हटाने संबंधी दाव दो महीने पहले दायर किया था। इस दावे को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी ने अपने तर्कों के आधार पर बताया कि इतिहासवित्त हरविलास शाहदा की पुस्तक में दरगाह में मंदिर होने का खुलासा किया गया था। उन्होंने कहा कि जहां भगवान शिव का मंदिर



कोर्ट परिसर में मौजूद हिंदू पक्षकार विष्णु गुप्ता।

होता है, वहां पर झरना एवं कुआं होता है। दरगाह में भी झरना और कुआं है, जिससे उनका दावा और मजबूत हो जाता है। अधिवक्ताओं ने बताया कि भगवान महादेव प्रथम पक्षकार हैं और द्वितीय पक्षकार विष्णु गुप्ता हैं। अयोध्या विवाद में भी इसी तरह का दावा प्रस्तुत किया गया था और भगवान को नाबालिग मानते हुए उनके भक्त को द्वितीय पक्षकार बनाया गया था। इसी आधार पर विष्णु गुप्ता इस मामले में द्वितीय पक्षकार हैं। कोर्ट ने विष्णु गुप्ता के दावे को मंजूर कर लिया। दिल्ली से आए एडवोकेट रामसुरूप बिश्नोई ने बताया कि 38 पेज का दाव पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर है। दरगाह की बनावट और शिव मंदिर के प्रमाण के संबंध में भी

सबूत पेश किए गए हैं। यह है मामला :- वादी विष्णु गुप्ता द्वारा सितंबर माह मे एसीजेएम कोर्ट में अजमेर की दरगाह में मंदिर होने का दावा पेश किया था, लेकिन क्षेत्राधिकार के मामले में न्यायाधीश ने संबंधित कोर्ट में दाव दायर करने के आदेश दिए थे। वादी द्वारा अंग्रेजी में दाव पेश करने के मामले में हिंदी में दाव पेश करने के लिए कहा गया था। गुप्ता ने 4 अक्टूबर को अजमेर की जिला एवं सत्र न्यायालय में दाव ट्रांसफर के लिए अर्जी पेश की थी। 5 नवंबर को गुप्ता को वाद वापस लेने के लिए धमकी मिली, इसके बाद उन्होंने अजमेर के किसानगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी जांच लॉन्ग है। 25 नवंबर को गुप्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र व) अजमेर नगर पश्चिम की अदालत में दाव पेश किया

जहां तीन दिन लगातार सुनवाई हुई और बुधवार को कोर्ट ने दावा मंजूर कर लिया। अदालत में दिए तर्कों: वादी के अधिवक्ता ने बताया कि 38 पेज के दाव बाद में 38 बिंदुओं में तर्क दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्वे किया जा सकता है। ज्ञानवापी की तरह 1991 पूजा स्थल अधिनियम कानून यहां लागू नहीं होगा। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्यवाही: अदालत में दावा मंजूर होने के बाद अजमेर का खुफिया विभाग सक्रिय हो गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्तचर विभाग दरगाह सहित परिधि क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है। जिला पुलिस की साइबर सेल सोशल साइट्स पर विशेष नजर रखे हुए हैं, अफवाह फैलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के बाद पूर्व राजपरिवार में छिड़ा विवाद खत्म

विश्वराज सिंह ने सुबह किये एकलिंगजी के दर्शन, शाम को पहुंचे धूणी दर्शन

उदयपुर, (कांस)। मेवाड़ राजघराने की परंपराओं और आस्थाओं के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहा विवाद बुधवार को समाप्त हो गया। उदयपुर के पूर्व राजघराने के बतौर मुखिया विश्वराज सिंह ने बुधवार को एकलिंगजी भगवान के दर्शन करके आस्था और परंपरा की एक और कड़ी जोड़ी, और शाम को सिटी पैलेस में धूणी के दर्शन कर परंपरा को पूरा किया। परंपरा अनुसार राजतिलक की रस्म के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ शाम करीब 6.15 बजे सिटी पैलेस में धूणी दर्शन के लिए पहुंचे। इस घटनाक्रम को लेकर राजघराने के समर्थकों ने खुशी का इजहार किया और क्षेत्रीय उत्साह के साथ आतिशबाजी की।



विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कैलाश पुरी में किए एकलिंगजी के दर्शन।

मेवाड़ को धूणी के दर्शन कराए जाने पर सहमति बनी। इसके बाद दृष्टतलाई स्थित प्रवेश द्वार से विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों ने सिटी पैलेस में प्रवेश किया। जहां आस्था और परंपरा की मिसाल पेश की गई। यह घटना ने केवल मेवाड़ राजघराने के आस्था और परंपरा को एक बार फिर स्थापित करती है बल्कि यह भी साबित करती है कि

जब धार्मिक आस्था और परिवार की परंपराएं एक साथ खड़ी होती हैं तो विवादों के बावजूद समाधान का रास्ता निकल ही आता है। इससे पहले विश्वराज सिंह ने राजतिलक की रस्म के 48 बजे बाद बुधवार सुबह दर्शन के बीच सिटी पैलेस में धूणी दर्शन को लेकर चल रहे विवाद पर मंगलवार रात को लक्ष्यराज सिंह

मेवाड़ पहली बार मोडिया से मुखातिब हुए। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा वे हमारे घरों में जबन घुसने के लिए सरकार से दबाव बनवा रहे हैं। मैं उदयपुर में कानून ढूंढ रहा हूँ कि कहा है। लक्ष्यराज ने स्पष्ट किया कि किसी की कोई मांग है तो उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाएं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। गुंडगर्दी से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि लक्ष्यराज पत्रकारों के सबालों का जवाब दिए बगैर बस अपनी बात कहकर चले गए। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में लोक शान्ति कायम रखने की दृष्टि से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों को लागू किया है। जारी आदेश में बताया गया है कि मेवाड़ के पूर्व राजपरिवारों के सदस्यों के बीच धूणी दर्शन को लेकर उभरे विवाद के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिसर में एवं रंग निवास पर्यटन पुलिस थाना तक जो कि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, में

विविध प्रतिबंध प्रभावित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। उक्त सीमाओं में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, युट्यूब के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रभाव नहीं करेगा। यह निषेधाज्ञा 26 नवंबर से आगामी आदेश तक लागू रहेगी। कोई भी व्यक्ति उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिधि क्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, में उक्त सीमाओं में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, यातक रासायनिक पदार्थ एवं आग्नेय अस्त्र, शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बंदूक, राईफल व अन्य धारादार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, धार्ला, कृपाण, बर्फी, गुप्ती, कटार, धारिया, आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो भूयोग, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।

25 लाख का गबन करने वाला कर्मचारी चढ़ा पुलिस के हथ्थे

अजमेर, (कांस)। पालारस्थित गोदाम में काम करने वाले एक युवक ने 25 लाख रुपए का गबन किया है। युवक दस साल से यहा पर काम कर रहा था। गोदाम मालिक ने जब स्टॉक की जांच की तो मामला उजागर हुआ। उन्होंने आदर्शनगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। थाने के हेड कांस्टेबल श्रीकिशन ने बताया कि धोला भाटा निवासी आशीष वर्मा पालार स्थित गोदाम में पिछले दस साल से काम कर रहा था। गोदाम मालिक अखिलेश जैन ने पुलिस को बताया कि आशीष दस साल से

उसके यहां पर काम कर रहा था। इस दौरान उसने धीरे-धीरे 25 लाख रुपये का गबन कर लिया। गोदाम का स्टॉक कम पाए जाने पर जांच के दौरान सामने आया कि आशीष ने बड़ी चालाकी से गोदाम वित्तीय रिकॉर्ड में हेरफेर करके यह लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही आरोपी कार्यवाही की भनक लगी तो उसने काम पर आना बंद कर दिया। मामला सामने आने के बाद जैन की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गबन में आशिष के साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

हादसे में एक जने की मौत

कोटा, (निर्स)। कोटा-बारां हाईवे नॉर्दन बाईपास पर झालीपुरा के समीप एक ट्रक का टायर फटने से घायल हुये दुकानदार को उपचार के लिये एम्बीएस अस्पताल में भर्ती करवाया जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी। मृतक कोटा के छावनी निवासी अब्दुल रहीम (45) है। जानकारी के अनुसार अब्दुल

रहीम की झालीपुरा के पास टायर की दुकान है। बुधवार सुबह एक ट्रक दुकान से सामने आकर खड़ा हुआ और ड्राइवर स्थान ही हवा भरने लगा जिससे ज्यादा हवा भरने से टायर में अचानक घमका हो गया। जिसकी चपेट में आने से अब्दुल रहीम घायल हो गया। जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(बिना वसुधा के अस्पति), कार्ल व. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,